

समाहरणलय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 434

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,

मधेपुरा/उदाकिशुनगंज

मधेपुरा, दिनांक 04.06.2016

विषय:- माह अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक कुल छः माह के लिए अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव, वितरण एवं अवशेष का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।।

प्रसंग:- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पट्टना के पत्रांक 2358 दिनांक 11.04.2016, इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1004/आ० दिनांक 29.09.2015 एवं 327 दिनांक 26.04.2016

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से माह अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक कुल छः माह के लिए अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम से इस मद का कितना उठाव हो गया है, कितना वितरण किया गया है एवं कितना अवशेष बचा है, से संबंधित संलग्न विहित प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अवतक आपसे अप्राप्त है। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण समेकित प्रतिवेदन इस स्तर से अवतक विभाग को नहीं भेजा जा सका है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पट्टना के पत्रांक 7241 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015 तक कुल छः माह के लिए आवंटित खाद्यान्न को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1004/आ० दिनांक 29.09.2015 द्वारा इस जिला के सभी प्रखंड/नगर निकाय को उपर्युक्त किया जा चूका है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत प्रखंडवार/निकायवार उपवांटित खाद्यान्न के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम से इस मद का कितना उठाव हो गया है, कितना वितरण किया गया है एवं कितना अवशेष बचा है, का विवरणी विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित कर प्रतिवेदन विभाग को ससमय भेजा जा सकें।

विश्वासभाजन

434

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 434/आ० मधेपुरा, दिनांक 04.06.2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वांछित विवरणी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति कार्यालय को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा 3/6/16